कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

पत्रांकःरिनु0/डी0डी0/फा0स0/मेरठ–17(2)/–461 दिनांकः अप्रैल 17 2017

सेवा मे,

स्वामी/प्रबन्धक,
मैसर्स जी0एस0एस0 प्रोकॉन प्रा0लि0,
प्लाट न0 जी0एच0–01/सी0, सेक्टर–143बी0 फेस–2 नौएडा
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स जी0एस0एस0 प्रोकॉन प्रा0लि0 द्वारा प्लाट न0 जी0एच0–01/सी0, सेक्टर–143बी0 फेस–2 नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर मे निर्मित बहुमंजिली सामुहिक आवासीय भवन के टावर–ए0,बी0,सी0,डी0 एवं ई0 कुल 05 टावरों की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का वर्ष 2017–2018 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडी:2014/5902/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/905/डी0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से उक्त प्रश्नगत निर्मित भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओ का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–द्वितीय, श्री संजीव कुमार यादव द्वारा किया गया तथा उनकी संस्तुति आख्या दिनांकः 13–04–2017 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर लिंक मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर के लिंक अधिकारी श्री अक्षय रंजन शर्मा द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांकः 15–04–2017 के माध्यम से आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत हैः–

प्रश्नगत भवन को पूर्व मे निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरणः–रिनु0/डी0डी0/फा0स0/मेरठ–16(2)/300 दिनांकः 22–03–2016।

भवन की संरचनाः–कुल भूखण्ड एरिया–10,306.120 वर्ग मी0 है, जिसमे निर्मित 05 अदद टावरो का फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत हैः–

कमांक	नाम टावर	तलो की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0।	ऊँचाई मी0।
1	टावर–ए0	02बी+भूतल एवं 16 तल	428.646	50.895
2	टावर–बी0	02बी+भूतल एवं 14 तल	287.048	44.925
3	टावर–सी0	02बी+भूतल एवं 19 तल	704.972	59.850
4	टावर–डी0	02बी+भूतल एवं 14 तल	287.048	44.925
5	टावर–ई0	02बी+भूतल एवं 16 तल	467.075	50.895

बेसमेन्टः–प्रश्नगत भवन मे डबल बेसमेन्ट जिनका कवर्ड एरिया–7714.327 वर्ग मी0 प्रत्येक है।

भवन का प्रयोग– भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवसीय श्रेणी ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

1–पहुँच मार्ग– भवन के सामने रोड की चौडाई 45.00 मीटर मानको के अनुसार है।

2–प्रवेश द्वारः– प्रश्नगत भवन मे प्रवेश/निकास द्वार जिनकी चौडाई 05.50 मी0 मानको के अनुसार उपलब्ध है।

3–सैटबेक– प्रश्नगत परिसर भवन के सैटबेक एन0बी0सी0–2005 एवं भवन निर्माण उपविधि–2008/10 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध है। तथा भवन के चारों ओर अग्निशमन वाहनों हेतु 06.00 मी0 मार्ग उपलब्ध रखा जाना अनिवार्य होगा जिनको सदैव अवरोध मुक्त रखा जाये।

4–निकास मार्ग– प्रश्नगत निर्मित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेस जिनकी चौडाई 01.50 मी0 प्रत्येक उपलब्ध है। तथा समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

(अमन शर्मा)
उप निदेशक फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र,

5–रिफ्यूज एरिया– प्रश्नगत निर्मित भवन के प्रत्येक ब्लाक मे बालकनी का प्राविधान किया गया है जो रिफ्यूज एरिया हेतु मानको के अनुसार मान्य है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था– प्रश्नगत निर्मित भवन मे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 एवं उसमे सन्दर्भित बी0आई0एस0–3844 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं स्थापित एवं कार्यशील पायी गयीः–

1–होजरील/डाउनकमरः–प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर में होजरील, डाउनकमर, लैण्डिंग वाल्व, होज पाईप, होज ब्रान्च पाईप, प्रत्येक तल पर स्थापित एवं कार्यशील दशा में है।

2–भूमिगत टैंकः– प्रश्नगत भवन परिसर मे अग्निशमन व्यवस्था हेतु 2,00,000 (दो लाख) ली0 क्षमता का भूमिगत स्थापित एवं कार्यशील दशा मे है।

3–पम्पः– प्रश्नगत भवन मे भूमिगत टैंक के पास 01 अदद विद्युत चालित मैन फायर पम्प क्षमता 2280 एल0पी0एम0, समान क्षमता का डीजल चालित पम्प एवं 180 एल0पी0एम0 क्षमता का जौकी पम्प स्थापित है।

4–टेरिस टैंकः– प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक 10,000 दस हजार ली0, क्षमता का स्थापित एवं कार्यशील दशा मे है।

5–वेटराईजर:–प्रश्नगत भवन वेटराईजर एवं उस पर फायर हाईड्रेन्ट मानकों के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित है।

6–यार्ड हाईड्रेन्ट:–प्रश्नगत भवन परिसर मे रिंग लाइन एवं उस पर फायर हाईड्रेन्ट मानकों के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित है।

7–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित पाये गये।

8–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:–सम्पूर्ण भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित है।

9–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:-- प्रश्नगत भवन के दोनो बेसमेन्ट एवं टावर नं0–ए0,सी0 एवं ई0 के सम्पूर्ण तलों पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित है।

10–स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम:– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम स्थापित है।

11–एग्जिट साईनेज:–सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साईनेज की स्थापना मानको के अनुसार है।

12–पी0ए0 सिस्टम:–प्रश्नगत भवन मे पी0ए0 सिस्टम की स्थापना मानको के अनुसार है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–2 एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर की आख्या के अनुसार मैसर्स जी0एस0एस0 प्रोकॉन प्रा0लि0 द्वारा प्लाट न0 जी0एच0–01/सी0, सेक्टर–143बी0 फेस–2 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का वार्षिक नवीनीकरण वर्ष 2017–2018 हेतु निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है:–

1–भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2–भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाऐ।

4–भवन मे किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5–प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाऐ।

6–भवन मे विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध मे विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7–वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

8–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

9–उक्त शर्तो का उल्लघंन पाये जाने की दशा मे निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(अमन शर्मा)
उप निदेशक, फायर सर्विस
उपनिदेशक, फायर सर्विस
मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

प्रतिलिपि: 1–संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–द्वितीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।